Cooperative Press, Jaipur/107/2013

प्ररूप–6

(नियम 9(2) देखिए)

अभ्यर्थिताएं वापस लिए जाने की सूचना

..... के लिये निर्वाचन*

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णित निर्वाचन में निम्नलिखित [1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट +अभ्यर्थी]/अभ्यर्थियों में +अपनी अभ्यर्थिता/अभ्यर्थिताएं आज वापस ले ली है/हैं।

[1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] का नाम	[1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] का पता	टिप्पणियाँ

स्थान : .....

तारीख : .....

रिटर्निंग ऑफिसर

* निर्वाचन संबंधी समुचित विशिष्टियाँ यहाँ लिखिए।

+ जो अनुकल्प समुचित न हो, उसे काट दीजिये।

[1] अधिसूचना सं. का.आ. 565 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

Cooperative Press, Jaipur/108/2013

[1][प्ररूप 7 क

(नियम 10 (1) देखिये)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... निर्वाचन–क्षेत्र से लोक सभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
(i)	मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी			
(ii)	रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न			
(iii)	अन्य अभ्यर्थी			

स्थान : .....

तारीख : .....

रिटर्निंग ऑफिसर

उपरोक्त प्रवर्ग (i) और प्रवर्ग (ii) के अधीन उल्लिखित अभ्यर्थियों की दशा में लागू।

कृपया ध्यान दें :–उपरोक्त स्तम्भ 1 के अधीन सभी तीन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की क्रम संख्या क्रमवार होगी न कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथक्तया।

[1] अधिसूचना सं. का.आ. 558 (अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 7क के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Cooperative Press, Jaipur/124/2013

[1][प्ररूप 21 ङ]

(नियम 64 देखिए)

(निर्वाचन की विवरणी)

..... निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा/विधान सभा के लिये निर्वाचन

[2][क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	सम्बद्ध पार्टी	डाले गये मतों की संख्या]

[3][मतदाताओं की कुल संख्या .....]

डाले गये विधिमान्य मतों की कुल संख्या .....

प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या .....

निविदत्त मतों की कुल संख्या .....

मैं घोषित करता हूँ कि –

..... (नाम)

..... (पता)

उक्त स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : .....

तारीख : .....

रिटर्निंग ऑफिसर

[1] अधिसूचना सं. का.आ. 4542, तारीख 20.12.1969 द्वारा 1-1-69 से पुनःसंख्यांकित।

[2] अधिसूचना सं. का.आ. 565 (अ), तारीख 4.8.1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] अधिसूचना सं. का.आ. 565 (अ), तारीख 4.8.1984 द्वारा प्रतिस्थापित।

Cooperative Press, Jaipur/129/2013

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 160 के अधीन यानों/पशुओं के लिये अधिग्रहण आदेश

यतः मेरे अधिकार क्षेत्र में 20..... में होने वाले राजस्थान विधानसभा/लोकसभा के साधारण निर्वाचन के संबंध में, मतदान केन्द्र को या से के ई.वी.एम. परिवहन के लिये या इन निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस दल के सदस्यों के परिवहन के लिये तथा ऐसे निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यों के पालने के लिये अन्य पदाधिकारियों तथा व्यक्तियों, विशेषकर निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ मतदान कर्मचारियों (पोलिंग पर्सनल) तथा पदाधिकारियों के परिवहन के प्रयोजनार्थ प्रयोग हेतु निम्न अनुसूची में उल्लिखित यान/पशु की आवश्यकता है या आवश्यकता होना संभाव्य है।

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 160 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, जो राजस्थान राजपत्र, भाग 5–घ, दिनांक 5.2.1971/11.7.1975 में प्रकाशित राजस्थान सरकार के निर्वाचन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 3 (1) (41) I/इलेक/70/686, दिनांक 5.2.1971/एफ. 3 (1) (5) I इलेक/75/1765, दिनांक 9.7.1975 द्वारा मुझे प्रत्यायोजित की गई है।

मैं ..... (नाम)
पद .....
(जिले का नाम) ..... एतद्द्वारा उक्त यान/पशु को अधिग्रहीत करता हूँ तथा आदेश देता हूँ कि–

(1) उक्त यान/पशु इस आदेश की तामील की तारीख और समय से राजस्थान सरकार के अधीन रहेगा तथा ..... (पदाधिकारी का नाम व पद) को ..... (तारीख) को ..... (बजे) परिदत्त किया जायेगा।

(2) उक्त यान/पशु का स्वामी या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति उस यान/पशु को मेरी लिखित अनुज्ञा के बिना ..... (तारीख) से प्रारंभ तथा ..... (तारीख) को समाप्त होने वाली अवधि में किसी रीति से किसी प्रयोजन के लिये न तो प्रयोग में लायेगा और न बेचेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो इस आदेश के किसी उपलब्ध का उल्लंघन करेगा, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के अधीन एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुमार्ना से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) अधिग्रहीत सम्पत्ति के लिये प्रतिकर राजस्थान सरकार द्वारा देय होगा तथा वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 161 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जायेगा व दिया जायेगा।

अनुसूची

अधिग्रहण करने वाले पदाधिकारी
के हस्ताक्षर व पद

सूचना :अधिग्रहीत सम्पत्ति को सही पहचान के लिये, अधिग्रहित यान/पशु का पर्याप्त विवरण सभी दशाओं में अनुसूची में अभिलिखित किया जाये। मोटर यानों के संबंध में उपलब्ध रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा अन्य विवरण अभिलिखित किया जाना चाहिये।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 98 का उद्धरण

98. धारा 160 के अधीन वाले अधिग्रहण आदेश की तामील :–

परिसर, यानों आदि के अधिग्रहण के आदेश की तामील की रीति

(क) उस दशा में जिसमें कि वह व्यक्ति, जिसे कि ऐसा आदेश सम्बोधित है निगम या फर्म है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) की प्रथम अनुसूची में, यथास्थिति, आदेश 29 के नियम 2 या आदेश 30 के नियम 3 के समनों की तामील के लिये उपबंधित रीति में की जायेगी, तथा

(ख) उस दशा में, जिसमें कि वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश सम्बोधित है, एक व्यष्टि है,ह्न

(i) आदेश को उस वैयक्तिक रूप से परिदत्त या निविदत्त करके, अथवा

(ii) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, अथवा

(iii) तब जबकि उस व्यक्ति का पता नहीं चलाया जा सकता आदेश की अधिप्रमाणीकृत प्रति उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य के पास छोड़कर या उस परिसर के, जिसकी बाबत् यह ज्ञात है कि उसने जब पिछली बार उसमें निवास किया था या कारोबार चलाया था या स्वयं अभिलाभ के लिये काम किया था किसी सहज दृश्य भाग में ऐसी प्रति को लगाकर की जायेगी।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) की पहली अनुसूची के उद्धरण

आदेश 29

1. निगम पर तामील

आदेशिका की तामील का विनियमन करने वाले किसी भी कानूनी उपबंध के अधीन रहते हुए, जहां वाद किसी निगम के विरुद्ध है, वहां सम्मन की तामील–

(क) उस निगम के सचिव या किसी भी निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारी पर की जा सकेगी, अथवा

(ख) उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है तो उस स्थान पर जहां निगम कारोबार चलाता है, छोड़कर या समन को ऐसे कार्यालय या स्थान के पते से निगम को सम्बोधित करके डाक द्वारा भेज कर की जा सकेगी।

आदेश 30

2. तामील

जहां व्यक्तियों पर भागीदारों के नाते उनकी फर्म की हैसियत में वाद लाया जाता है, वहां समन की तामील न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देश के अनुसार या तो–

(क) भागीदारों में से किसी एक के या अधिक पर की जायेगी, अथवा

(ख) उस प्रधान स्थान में जिसमें भारत के भीतर भागीदारी का कारोबार चलता है, किसी ऐसे व्यक्ति पर की जायेगी जिसके हाथ में वहां भागीदारी के कारोबार का नियंत्रण या प्रबंध तामील के समय है,

और ऐसी तामील के बारे में यह समझा जायेगा कि जिस फर्म पर वाद लगाया गया है उस पर वह सही तामील है, चाहे सभी भागीदार या उनमें से कोई भारत, के भीतर या बाहर हों :

परन्तु ऐसी भागीदारी की दशा में जिसके बारे में वादी को वाद संस्थित करने से पहले ही यह जानकारी हो कि वह विघटित की जा चुकी है, सम्मन को तामील भारत के भीतर के ऐसे हर व्यक्ति पर की जायेगी जिसे दायित्वाधीन करना चाहा गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 का उद्धरण

167. अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्तिः– यदि कोई व्यक्ति धारा 160 या धारा 162 के अधीन किये गये आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

Cooperative Press, Jaipur/144/2013

लोकसभा/विधानसभा आम चुनाव, 201 .....

पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी No. .....

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट बड़े अक्षरों में) .....
2. मतदान की तारीख .....
3. मतदान केन्द्र का नम्बर व नाम .....

   मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है:–

   (1) शासकीय या अर्द्ध–शासकीय भवन; .....

   (2) निजी भवन; .....

   (3) अस्थायी संरचना (टैम्परेरी स्ट्रक्चर) .....
4. स्थानीय रूप से भर्ती किये गये मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो : .....
5. सम्यक् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण : .....
6. मतदान मशीन–

   (i) उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की संख्या : .....

   (ii) उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या : .....

   (iii) उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या : .....

   (iv) उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या : .....
7. (i) उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्यांक : .....

   (ii) उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्यांक : .....

7क. (i) पूर्ति किये गये विशेष टैगों की विशेष संख्या : .....

   (ii) पूर्ति किये गये विशेष टैगों की क्रम संख्या : .....

   (iii) प्रयुक्त विशेष टैगों की संख्या : .....

   (iv) प्रयुक्त विशेष टैगों की क्रम संख्या : .....

   (v) उपयोग में नहीं लाये जाने के कारण लौटाये गये विशेष टैगों की क्रम संख्या : .....

7ख. (i) पूर्ति की गई स्ट्रिप सीलों की संख्या : .....

   (ii) पूर्ति की गयी स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या : .....

   (iii) प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की संख्या : .....

   (iv) प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या : .....

   (v) उपयोग में नहीं आने के कारण लौटाई गई स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या : .....
8. मतदान अधिकर्त्ता की संख्या और जो विलम्ब से आये हों, उनकी संख्या : .....
9. ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकर्त्ता नियुक्त किये है: .....
10. (i) मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या : .....

    (ii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किये गये निर्वाचकों की संख्या : .....

    (iii) ऐसे निर्वाचकों की संख्या, जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17 ग के अनुसार मत दिया है : .....

    (iv) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या : .....

.....
प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

.....
मतदाताओं के रजिस्टर के भारसाधक
मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

11. निर्वाचकों की संख्या, जिन्होंने मत दिये : पुरुष ..... महिला ..... कुल .....
12. आक्षेपित (चैलेंज्ड) मत : अनुज्ञात संख्या ..... अस्वीकृत संख्या .....

    जब्त की गई रकम रु. .....

13. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र (ई.डी.सी.) प्रस्तुत करके मत दिये : .....

13क. उन परोक्षी मतदाताओं की संख्या, जिन्होंने मत दिये .....

14. उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिये : .....

15. निविदत्त (टेण्डर्स) मतों की संख्या : .....

16. निर्वाचकों की संख्या :–

(क) जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की : .....

(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इन्कार किया : .....

17. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारण : .....

18. डाले गये मतों की संख्या :–

7 बजे पूर्वान्ह से 9 बजे पूर्वान्ह तक .....

9 बजे पूर्वान्ह से 11 बजे पूर्वान्ह तक .....

11 बजे मध्यान्ह से 1 बजे अपरान्ह तक .....

1 बजे अपरान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक .....

3 बजे अपरान्ह से 5 बजे अपरान्ह तक .....

19. मतदान समाप्त होने के समय पर दी गई पर्चियों की संख्या : .....

20. ब्यौरों सहित निर्वाचन अपराध :

मामलों की संख्या

(क) मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर मत संयाचना : .....

(ख) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना : .....

(ग) मतदान केन्द्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना : .....

(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना : .....

(ङ) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना : .....

(च) मतदान केन्द्र पर कब्जा करना : .....

21. यदि निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई :

(क) बलवा : .....

(ख) खुली हिंसा : .....

(ग) प्राकृतिक विपत्ति : .....

(घ) बूथ पर कब्जा : .....

(ङ) मतदान मशीन का विफल होना : .....

(च) अन्य कोई कारण : .....

कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें।

22. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को :–

(क) पीठासीन ऑफिसर की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर : .....

(ख) आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्च करके : .....

(ग) नुकसान पहुँचाकर या छेड़छाड़ करके : .....

मतदान को दूषित किया गया।

कृपया ब्यौरा दें।

23. अभ्यर्थियों/अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, यदि कोई हों : .....

24. विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या : .....

25. मतदान केन्द्र पर की गयी त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो; .....

26. क्या आपने मतदान के प्रारम्भ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो, घोषणाएं की। .....

स्थान : .....

तारीख : .....

पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

नोट : यह डायरी, मतदान मशीन और अन्य मुहरबन्द पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए।

Cooperative Press, Jaipur/145/2013

विधानसभा/लोकसभा आम चुनाव, 201 .....

..... निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा/लोक सभा के लिए निर्वाचन

संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम .....

भाग–I

मतदान आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

मतदान केन्द्र का क्रम संख्याक और नाम ..... मतदान की तारीख .....

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ :–

1. कि मैंने मतदान अभिकर्त्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को;
   (क) नकली मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है;
   (ख) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली को चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है;
   (ग) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17–क) पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है;
2. कि मैंने मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील (लों) पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर मतदान अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
3. मैंने विशेष टैग पर नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने विशेष टैग के पीछे की ओर हस्ताक्षर कर दिये हैं और उस पर ऐसे अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्त्ताओं से हस्ताक्षर भी करा लिये हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।
4. मैंने विशेष टैग पर पूर्व मुद्रित क्रम संख्या को पढ़कर सुना दी है और उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्त्ताओं को वह क्रम संख्या नोट करने के लिये कह दिया है।

हस्ताक्षर ( )
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर :–

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
5. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
6. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
7. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
8. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
9. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्त्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया :–

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)

तारीख .....
समय .....

हस्ताक्षर ( )
पीठासीन अधिकारी

भाग–II

पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चात्वर्ती मतदान के उपयोग, यदि कोई हो, के समय घोषणा

..... संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन .....

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम .....

मतदान की तारीख .....

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ :–

1. मैंने नकली मतदान आयोजित करके मतदान अभिकर्त्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह प्रदर्शित कर दिया है कि पश्चात्वर्ती मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और यह कि उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है;
2. मैंने मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील (लों) पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर करा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

"3. कि मैंने विशेष टैग पर नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने विशेष टैग के पीछे की ओर हस्ताक्षर कर दिये हैं और उस पर ऐसे अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्त्ताओं से हस्ताक्षर भी करा लिये है जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

4. कि मैंने विशेष टैग पर पूर्व मुद्रित क्रम संख्या पढ़कर सुना दी है और उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्त्ताओं को वह क्रम संख्या नोट करने के लिये कह दिया है।"

हस्ताक्षर ( )

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर :–

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
5. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
6. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
7. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
8. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
9. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)

इत्यादि

निम्नलिखित मतदान अभिकर्त्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)

इत्यादि

तारीख .....

समय .....

हस्ताक्षर ( )

पीठासीन अधिकारी

भाग–III

मतदान के अन्त में घोषणा

मैंने उन मतदान अभिकर्त्ताओं को, जो मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ध (2) के अधीन यथा–अपेक्षित प्ररूप 17–ग के भाग–I रिकॉर्ड किये गये मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक–एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

तारीख ..... **हस्ताक्षर ( )**

समय ..... **पीठासीन अधिकारी**

रिकॉर्ड किये गये मतों के लेखों (प्ररूप 17–ग का भाग–I) में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की।

मतदान अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर :–

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
5. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
6. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
7. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
8. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
9. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)

इत्यादि

निम्नलिखित मतदान अभिकर्त्ताओं ने, जो मतदान बन्द होने के समय उपस्थित थे, प्ररूप 17–ग के भाग–I की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इन्कार कर दिया है। अतः उन्हें उक्त प्ररूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई है।

---

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
5. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
6. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
7. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
8. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
9. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)

तारीख ..... **हस्ताक्षर ( )**

समय ..... **पीठासीन अधिकारी**

भाग–IV

मतदान मशीन को मुहरबन्द करने के पश्चात् घोषणा

मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है और उन मतदान अभिकर्त्ताओं को, जो मतदान के अन्त में मतदान केन्द्र में उपस्थित थे, उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

तारीख ..... **हस्ताक्षर ( )**

समय ..... **पीठासीन अधिकारी**

निम्नलिखित मतदान अभिकर्त्ताओं ने अपनी मुद्रा लगा दी हैः–

मतदान अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर :

---

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
5. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
6. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्त्ताओं ने मुद्रा लगाने से इन्कार कर दिया या मुद्रा लगानी नहीं चाही :–

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्त्ता)

तारीख ..... **हस्ताक्षर ( )**

समय ..... **पीठासीन अधिकारी**